B-2
L-4
Polity

प्रस्तावना

* क्या हम भारत के लोगों से सरकार को कोई शक्ति प्राप्त होती है अथवा शक्ति पर प्रतिबंध अर्पित होता है?

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना, अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में मूलतः आदर्शों का उल्लेख किया गया जबकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:-

1. संविधान निर्माण का स्रोत - हम भारत के लोग
2. शासन की प्रणाली/सरकार का स्वरूप - लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी
3. आदर्श:- न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता
4. संविधान निर्माण की तिथि:-

- अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है कि हम अमेरिका के लोग एक पूर्ण संघ का निर्माण करेंगे जिसमें न्याय, सामूहिक रक्षा और सभी के लिए कल्याणकारी होगा और सभी व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता सुनिश्चित की

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

आएगी।

- "हम भारत के लोग" का अभिप्राय भारत के सभी नागरिकों से है, जहां भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है, लेकिन संविधान के द्वारा लोगों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित संस्थाओं जैसे - संसद, विधानसभा का निर्माण भी किया गया।

- "हम भारत के लोग" का आशय भारत में जनसंप्रभुता का विचार है इसलिए सरकार से बड़ा संविधान है और संविधान से बड़ी जनता है।

- "हम भारत के लोग" भारत के लिए कोई विधि निर्माण का स्रोत नहीं है और न ही "हम भारत के लोग" संसद के द्वारा निर्मित विधि को निरस्त कर सकते हैं।

- "हम भारत के लोग" से संबंधित पहला विवाद 1960 में शुरु हुआ, जिसे बेरुबारी वाद के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बेरुबारी नामक भू-भाग जब पाकिस्तान को सौंपा गया, तो इस पर आम जनता के द्वारा आपत्ति की गयी

KGS IAS

और आम जनता की इजाजत के बिना (जनमत संग्रह) भारत का कोई भी भू-भाग किसी विदेशी राज्य को नहीं सौंपा जा सकता।

- उच्चतम न्यायालय ने बेरुबारी वाद में निर्णय देते हुए कहा कि किसी कार्य के लिए आम जनता से पूछने अथवा जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आम जनता शक्ति का कोई स्रोत नहीं है।
- लेकिन न्यायालय ने यह माना कि यदि भारत का कोई भू-भाग किसी विदेशी राज्य को दिया जाए तो इसके लिए संविधान संशोधन (अनुच्छेद 368) की आवश्यकता होगी। लेकिन बिहार यदि कोई भू-भाग उत्तरप्रदेश को सौंपता है, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है अपितु संसद यह कार्य सामान्य विधि (अनुच्छेद 3) के द्वारा कर सकती है।
- यदि किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय के द्वारा दण्डित कर दिया जाए तो जनता की इच्छा के नाम पर उसकी नियुक्ति किसी संवैधानिक पद

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

पर संभव नहीं है और कच्चातिवु के विवाद में भी किसी प्रकार के जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है।

* क्या समाजवाद और पंथनिरपेक्षता को संविधान से हटाया जा सकता है?

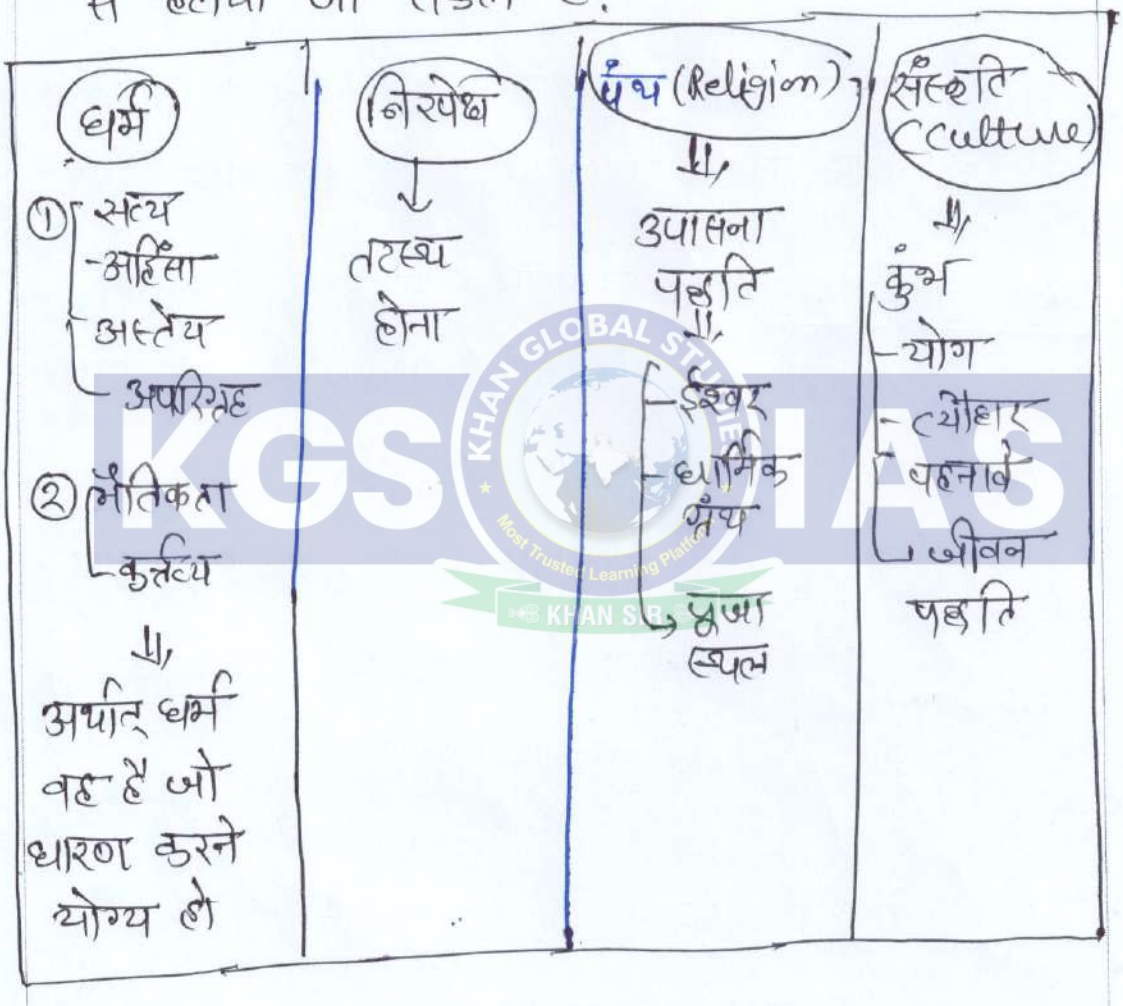

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

* भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता के अर्थः-

- पंथनिरपेक्षता का नकारात्मक अर्थ, पंथ एवं राज्य के बीच का विभाजन है।
- सकारात्मक रूप में पंथनिरपेक्ष राज्य का आशय सर्वधर्म समभाव है।
- भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया गया है, जो यूरोप और अमेरिका में भी नहीं है।
- किसी पंथ को स्वीकार करना व्यक्ति अथवा समुदाय की प्राथमिकता है। राज्य का सरोकार सामाजिक - आर्थिक विषयों से है।

* संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य के आधार

- पंथनिरपेक्ष राज्य का विचार समानता के सिद्धांत का ही विस्तार है और जिन राज्यों में पंथ विशेष को राजकीय पंथ का दर्जा दिया जाता है वहां राज्य केवल बहुमत धर्मावलम्बियों को ही संरक्षण देता है और अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा होने लगती है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

- संविधान में स्वतंत्रता एवं मूल अधिकार (अनुच्छेद-19) है और अनुच्छेद-25 में प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता भी प्राप्त है अतः आस्था पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करना संभव नहीं है।
- राज्य के द्वारा केवल पंथ के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव संभव नहीं है।
- इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने एस० आर० बोम्मई वाद (1994) में पंथनिरपेक्षता को आधारभूत ढाँचा कहा, जिसे संविधान संशोधन के द्वारा भी समाप्त करना संभव नहीं है।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

* <u>समाजवाद</u>:-

समाजवाद
- → समानता → आर्थिक समानता
- → स्वतंत्रता
- → बंधुत्व

आर्थिक समानता
- → राज्य के द्वारा ↓ लोकतंत्र } → लोकतांत्रिक समाजवाद
- → राज्य को समाप्त करके ↓ क्रांति } → साम्यवाद